DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022

NAME OF NEWSPAPERS----- ------------------------------DATED---------------------

Agencies get NGT notice over 2-mth land booking for festival

Times News Network

New Delhi: The National Green Tribunal has served notices to the Delhi Development Authority, Delhi Police, the Municipal Corporation of Delhi and Agrani Matri Mandir on a plea against booking of a DDA land in Rohini for festival celebrations for over two months.

The petition filed by local residents claimed that the DDA park land had been booked by the management of Agrani Matri Mandir for Durga Puja celebration from September 1 to November 15 in violation of norms. The residents also fear violation of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, during the festival. Senior citizens of the area will be worst affected by the activities of the above temple, the plea claimed.

The tribunal stated that the land could not be booked for over 10 days in a month. The final order is still pending

The NGT observed that the land could not be booked for more than 10 days in a month. "Prima facie, booking of the land in question for Durga Puja from September 1 to October 15 is a clear violation of order of the Supreme Court restricting use of such land for more than 10 days in a month," the tribunal stated in its order dated August 29.

Earlier, the NGT had constituted a joint committee led by the Delhi Pollution Control Committee, which informed the tribunal that the land allotted for the puja was not a park land as alleged by the petitioner. The DPCC, however, cited a Supreme Court's judgment that barred booking of such spaces for more than 10 days in a month.

The final order on the matter is still pending.

DDA gives more time to form consortiums for landpooling

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has extended the time to form consortiums for development of three landpooling sectors till September 30 after receiving requests from landowners. It has also issued a public notice for the formation of a consortium to develop a fourth landpooling sector — Sector 8B in Zone P-II.

DDA has decided to keep the period of submitting applications open till September 30 for all 104 villages under the landpooling zones and till November 21 for Garhi Khusro and Ibrahimpur. TNN

दैनिक जागरण | 3
नई दिल्ली, 1 सितंबर, 2022

लैंड पूलिंग पालिसी को तीन सेक्टरों में बढ़ाया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग पालिसी के हिस्से के रूप में जोन एन के सेक्टर-10 ए, जोन पी-2 के सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में कंसोर्टियम (भू स्वामियों का समूह) के गठन के लिए 19 मई को सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। इनमें से प्रत्येक सेक्टर में अलग-अलग कंसोर्टियम बनाने के लिए 90 दिनों की समयावधि दी गई थी।

अब डीडीए कंसोर्टियम के गठन के लिए एक और प्रोविजनल नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जोन पी-2 में सेक्टर 8बी के संबंध में है, जहां भूस्वामियों की 70 प्रतिशत भागीदारी हासिल कर ली गई है। इन भूस्वामियों को कंसोर्टियम बनाने के लिए 90 दिनों की समयावधि भी दी गई है।

जोन पी-2 के सेक्टर-3 के संबंध में कंसोर्टियम प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। शेष दो सेक्टरों के भूस्वामियों ने कंसोर्टियम के गठन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। लैंड पूलिंग पालिसी के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अब इन क्षेत्रों के संबंध में कंसोर्टियम के गठन की समय अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इच्छुक लैंड पूलर अभी भी आपस में समन्वय कर सकते हैं और नीति के अनुसार संघ बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य सेक्टरों में इसे और लैंड पूलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए लैंड पूलिंग जोन के अंतर्गत आने वाले सभी 104 गांवों के लिए आवेदन जमा करने की विंडो भी दिनांक 30 सितंबर तक खुली रहेगी। गढ़ी खुसरो व इब्राहिमपुर के गांवों के लिए यह समयावधि 21 नवंबर तक रखने का निर्णय लिया गया है।

हिन्दुस्तान

ईडब्ल्यूएस दाखिले के पहले दिन परेशानी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। डीडीए और दूसरी सरकारी एजेंसी की जमीन पर बने निजी स्कूलों में कक्षा दूसरी से लेकर नौवीं तक में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की सीटों पर दाखिले की दौड़ बुधवार से शुरू हो गई। लेकिन, पहले दिन अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दाखिले के लिए आने वाले अभिभावकों को दस्तावेज के नाम पर भटकाया जा रहा है।

दाखिले के लिए अभिभावकों का मार्गदर्शन करने वाले मिशन तालीम के संस्थापक अध्यक्ष एकरामूल हक ने बताया कि एक नामी स्कूल में छठी कक्षा की ईडब्ल्यूएस सीट के लिए बच्ची का चयन हुआ है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
THURSDAY, 1 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI

NAME OF NEWSPAPERS-----DATED-----

DDA ISSUES PUBLIC NOTICES FOR FORMATION OF A CONSORTIUM

'Applications covering 104 villages under land pooling policy can be submitted till Sept 30'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: DDA has decided that applications under the land pooling policy covering 104 villages under it, can be submitted till September 30, the urban body said on Wednesday.

For villages of Garhi Khusro and Ibrahimpur, they can be sent till November 21, the DDA said in a statement.

The land pooling policy was notified by the Delhi Development Authority (DDA) in September 2018.

It is based on a public-private partnership towards proactively increasing economic opportunities and housing supply in a time-bound manner, and harnessing private potential through pooling of land parcels, the statement said.

Under the policy, agencies will develop infrastructure like roads, schools, hospitals, community centres and stadia on the pooled land and return a portion of the plot to farmers who can later execute housing projects with the help of private builders.

The DDA on Wednesday said it had as part of this policy, issued public notices dated May 19, 2022 for formation of a consortium in Sector 10A of Zone N and Sectors 2 and 3 of Zone P-II.

A time period of 90 days was given to form a consortium in each of these sectors separately.

DDA now has issued "another provisional notice for formation of consortium".

This notice is in respect of Sector 8B in Zone P-II where 70 per cent participation of landowners has been achieved. A time period of 90 days has also been given to these landowners to form a consortium, the statement said.

"It is also to inform that willing land poolers may still coordinate among themselves and form a consortium as per the policy.

"Additionally, to facilitate this and land pooling in other sectors, the DDA has decided to keep the window period of submitting applications open till 30.09.2022 for all 104 villages falling under the Land Pooling zones and up till 21.11.2022 for the Villages of Garhi Khusro and Ibrahimpur," it added.

Consortium proposal in respect of Sector 3 of Zone P-II has been received and the same is "under examination".

Landowners of the remaining two sectors have sought additional time for formation of consortium.

Accordingly, in order to facilitate the implementation of land pooling policy it has now been decided to further extend the time period for formation of consortium till September 30, the statement said.

अमर उजाला नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 1 सितंबर 2022

डीडीए ने लैंड पूलिंग प्रक्रिया में शामिल किया नया सेक्टर

नए सेक्टर के भूस्वामियों की 70 फीसदी भागीदारी हासिल करने का दावा

कंसॉर्शियम के गठन की प्रक्रिया को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ाया

इच्छुक भूस्वामियों के लिए अभी भी आपस में जमीन का समन्वय करने का मौका : डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंड पूलिंग योजना के तहत कंसॉर्शियम गठन की प्रक्रिया में अब एक और सेक्टर को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण का दावा है कि इस सेक्टर में डीडीए ने 70 फीसद भूस्वामियों की भागीदारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही लैंड पूलिंग योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंसॉर्शियम के गठन की प्रक्रिया को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया है। डीडीए के मुताबिक अभी तक जोन-एन के सेक्टर-10ए, जोन पी-2 के सेक्टर-2 और 3 में काम तेजी से चल रहा है।

डीडीए का कहना है कि जोन पी-2 स्थित सेक्टर-8बी के लिए कंसॉर्शियम गठन के लिए एक और प्रोविजनल नोटिस भेजा गया है। प्राधिकरण ने इस सेक्टर के 70 फीसद भूस्वामियों की भागीदारी हासिल कर ली है। इन भू-स्वामियों को कंसॉर्शियम बनाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। पुराने सेक्टरों में जोन पी-2 स्थित सेक्टर-3 के संबंध में डीडीए को जो कंसॉर्शियम मिला है, वह उसकी जांच कर रहा है। जबकि बाकी दोनों सेक्टरों के भूस्वामियों ने कंसॉर्शियम के गठन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

प्राधिकरण ने उसकी मांग को स्वीकार करते हुए कंसॉर्शियम गठन के लिए 30 सितम्बर तक का समय दे दिया है। डीडीए का कहना है कि इच्छुक भूस्वामियों के लिए अभी भी आपस में जमीन का समन्वय करने का मौका है। डीडीए ने लोगों की सुविधा को देखते हुए लैंड पूलिंग के तहत आने वाले सभी 104 गांवों के भूस्वामियों के आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल 30 सितम्बर तक खुला रहेगा। जबकि गढ़ी, खुसरो और इब्राहिमपुर गांव के भूस्वामियों के लिए पोर्टल 21 नवंबर तक खुला रहेगा। इस संबंध में किसी तरह की जानकारी लेने या साझा करने के लिए भूस्वामी पीतमपुरा स्थित टीवी टावर के सामने बने लैंड पूलिंग कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही 011-20871231 फोन पर कॉल करके या वेबसाइट deputydirectorlpdda@gmail.com पर मेल करके जानकारी ले सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा

डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को तीन सेक्टरों में बढ़ाया

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कंसोर्टियम के गठन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई है। कंसोर्टियम के गठन की अवधि 18 अगस्त को खत्म हो गई थी। उसने भूस्वामियों के आग्रह पर कंसोर्टियम के गठन के लिए अवधि बढ़ाई है।

डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के भाग के जोन एनके सेक्टर-10ए और जोन पी-2 के सेक्टर-2 व 3 में कंसोर्टियम के गठन के लिए 19 मई को 90 दिनों की अवधि तय की थी, मगर अब उसने कंसोर्टियम के गठन के लिए एक और प्रोविजनल नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जोन पी-2 में सेक्टर 8बी के संबंध में है, जहां भूस्वामियों की 70 प्रतिशत भागीदारी हासिल कर ली गई है। इन भूस्वामियों को कंसोर्टियम बनाने के लिए 90 दिनों की समयावधि भी दी गई है।

जोन पी-2 के सेक्टर-3 के संबंध में कंसोर्टियम प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। शेष दो सेक्टरों के भूस्वामियों ने कंसोर्टियम के गठन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। लैंड पूलर अभी भी आपस में समन्वय कर सकते हैं और पॉलिसी के अनुसार ग्रुप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सेक्टरों में इसे और भूमि पूलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए लैंड पूलिंग जोन के तहत आने वाले सभी 104 गांवों के लिए आवेदन जमा करने की विंडो अवधि भी 30 सितंबर तक और गढ़ी खुसरो व इब्राहिमपुर के गांवों के लिए दिनांक 21 नवंबर तक खुला रखने का निर्णय लिया है। ब्यूरो